

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजसमन्द

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खटकुडा
व भू.अ.नि. बनेशिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगारा / नायब
तहसीलदार रेलमगारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खटकुडा तहसील रेलमगारा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या ३७२, ५१६, ५१७ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	<u>खटकुडा</u>	<u>३७२</u>	<u>वी.पी. पति गोपिण</u> <u>भील</u>	<u>वी.पी. पति गोपिण</u> <u>भील</u>
०२	"	<u>५१६</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
०३	"	<u>५१७</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रेलमगारा

क्रमांक:- ३१२
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- १०/१०/२५

१. तहसीलदार _____ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
२. प्रार्थी श्री _____ को सूचनाार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगारा अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर